न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी, श्री नेमा राम, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या – 125/2025
जीसीएमएस सं. – 2025/677

वादी	बनाम	प्रतिवादी
निम्बाराम पुत्र पूनाराम जाति मेघवाल निवासी खेड़ीसालवा तहसील पीपाड़ शहर		1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दर्ज तारीख :– 29/10/2025

उपस्थित अधिवक्ता :–
1. श्री रामकिशोर खोजा– अधिवक्ता वादी।
2. तहसीलदार पीपाड़ शहर– प्रतिवादी

निर्णय दिनांक : 08/12/2025

वादी ने एक राजस्व वाद पत्र धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि ग्राम सालवाखुर्द पटवार क्षेत्र सालवाखुर्द तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर (राज.) की राजस्व सीमा में वादी की खातेदारीशुदा, कब्जाशुदा कृषि भूमि खसरा नबर 618 क्षेत्रफल 2.9035 हेक्टेयर किस्म बारानी भूमि आई हुई है जो खाता संख्या नया 331 व पूराना 332 पर इन्द्राजशुदा है। सबूत में नकल जमाबंदी संम्वत 2081 की प्रमाणित प्रति मय नक्शा संलग्न पेश है। उक्त वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम निम्बाराम पुत्र पेमाराम अंकित है जो कि त्रुर्तिपूर्ण नाम है जबकि वादी के पिता सही व वास्तविक नाम पुनाराम है। वादी के आधार कार्ड, पेनकार्ड, पहचान पत्र, परिवार कार्ड, बैंक डायरी, जनआधार, फसल ऋण माफी प्रमाणपत्र, पेशन सत्यापन बिल, विद्युत बिलों में वादी के पिता का सही नाम पूनाराम अंकित है। वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में वादी के पिता का नाम भुलवश सेवन से घरेलु बोलचाल का नाम पेमाराम अंकित हो गया जो कि मानवीय भूल है जिसको दुरूस्त करवानें का वादी अधिकारी है। वादी द्वारा दिनांक 24.10.2025 को तहसीलदार पीपाड शहर के समक्ष नाम शुद्धि के लिए आवेदन किया गया जिस पर वादी को सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने की सलाह देते हुए आवेदन को लौटा दिया गया जिस पर न्यायालय के समक्ष वाद पेश करने के अलावा वादी के पास विकल्प नहीं है इसलिए वादी का उक्त वाद वास्तें सही नाम निम्बाराम पुत्र पेमाराम के स्थान पर निम्बाराम पुत्र पुनाराम किये जानें की घोषणा हेतु प्रस्तुत है। वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की घोषणा की डिक्री सादिर फरमायी जावे कि ग्राम सालवाखुर्द पटवार क्षेत्र सालवाखुर्द तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर (राज) की राजस्व सीमा में वादी की खातेदारीशुदा, कब्जाशुदा कृषि भूमि खसरा नबंर 618 क्षेत्रफल 2.9035 हेक्टेयर किस्म बारानी भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम निम्बाराम पुत्र पेमाराम के स्थान पर निम्बाराम पुत्र पूनाराम घोषित किया जावे ।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

वादी के वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को समन जारी किये गये। प्रतिवादी तहसीलदार पीपाड़ शहर को जारी समन बाद तामिल प्राप्त एवं न्यायालय में प्रस्तुत जवाब अनुसार राजस्व ग्राम ग्राम सालवाखुर्द पटवार क्षेत्र सालवाखुर्द तहसील पीपाड शहर की कृषि भूमि खसरा नबंर 618 क्षेत्रफल 2.9035 हेक्टेयर किस्म बारानी भूमि में वादी का नाम नेम्बाराम पुत्र पेमाराम के स्थान पर निम्बाराम पुत्र पूनाराम दर्ज करने की अनुशंषा की है।

हमने पक्षकारान् बहस सुनी, वादी के वाद पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं तहसीलदार पीपाड़ शहर से प्राप्त जवाब का अवलोकन एवं उन पर मनन किया जिस पर वादी का वादपत्र स्वीकार योग्य होने से वादी का वाद पत्र स्वीकार कर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता हैं कि राजस्व ग्राम ग्राम सालवाखुर्द पटवार क्षेत्र सालवाखुर्द तहसील पीपाड शहर की कृषि भूमि खाता संख्या नया 331 खसरा नबंर 618 क्षेत्रफल 2.9035 हेक्टेयर किस्म बारानी भूमि में वादी का नाम निम्बाराम पुत्र पेमाराम के स्थान पर निम्बाराम पुत्र पूनाराम दर्ज कर राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें।

(नेमा राम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर (जोधपुर)

निर्णय आज दिनांक 08/12/2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।
पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(नेमा राम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर (जोधपुर)

8/11/2025 पत्रावली पेश हुई। पत्रावलोकन अनुसार वादी का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर निर्णय अलग से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल होकर बाद [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)